न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08 / 2024

उनवान

1. श्री भुपेन्द्र सिंह नाहर आत्मज स्व० श्री जीवन सिंह नाहर उम्र वयस्क निवासी भूखण्ड सं0 45,46,47,48, 49 महावीर कॉलोनी भीलवाडा राज०
2. श्रीमती चन्द्रा नाहर धर्मपत्नी भूपेन्द्र सिंह नाहर उम्र वयस्क निवासी भूखण्ड सं० 45,46,47,48, 49 महावीर कॉलोनी भीलवाडा राज०
3. श्री महेन्द्र कुमार नाहर आत्मज स्व० श्री जीवन सिंह नाहर उम्र वयस्क निवासी भूखण्ड सं0 52.53.54 महावीर कॉलोनी भीलवाडा राज०
4. श्रीमती रश्मि नाहर धर्मपत्नी श्री महेन्द्र कुमार नाहर उम्र वयस्क निवासी भूखण्ड सं0 52,53,54 महावीर कॉलोनी भीलवाडा राज०

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सुशील कंवर धर्मपत्नी स्व० रामेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा राज०
2. श्री लोकेन्द्र सिंह आत्मज स्व० रामेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा राज०
3. श्रीमती निधी शेखावत पुत्री रामेन्द्र सिंह जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाडा राज०
4. सचिव ग्राम पंचायत, पांसल तहसील व जिला भीलवाडा राज०
5. सरपंच ग्राम पंचायत, पांसल तहसील व जिला भीलवाडा राज०
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा राज०

रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः–अधिवक्ता अपीलान्ट श्री नन्दकिशोर शर्मा
रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से लगायत 03 स्वयं उपस्थित
रेस्पोडेन्टस संख्या 04 व 05 उपस्थित नहीं
रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय दिनांक 08.07.2024

अपील विरूद्ध नामान्तरकण सं0 7609 / 2023 आदेश दिनांक 06–10–2023 ग्राम पंचायत पांसल तहसील व जिला भीलवाडा राज०

अपीलान्टस की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3995, 3996, 3994 / 1, 3999 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन सुदा भूमि का सरपंच ग्राम पंचायत पांसल तहसील व जिला भीलवाडा का नामान्तरण सं० 7609 निर्णय दिनांक 06–10–2023 युक्तियुक्त नहीं होने से निरस्त योग्य है । राजस्व ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1556 में आराजी नम्बर 3995, 3996 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1138 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1557 में आराजी नम्बर 3994 / 1, 3999 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6829 हैक्टेयर भूमि का रामेन्द्र सिंह पुत्र मनमथ सिहं राजपूत निवासी पांसल की मृत्यु हो जाने से विरासत से नामान्तरण संख्या 7609 पटवार हल्का पांसल ने नामान्तरण दिनांक 01–10–2023 को भर कर प्रस्तुत किया जिसे गिरदावर ने दिनांक 05–10–2023 को जांच किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत पांसल ने दिनांक 06–10–2023 को स्वीकृत कर विरासत से उक्त आराजीयात में रामेन्द्रसिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत निवासी पांसल के रेस्पोडेट सं० 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया गया जो विधि के विपरीत है। राजस्व ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4012. 4011 / 1. 4013 / 1 के खातेदारान ने प्रस्तावित लाल बहादुर ग्रह निर्माण सहकारी समिति लि० भीलवाडा ने निजी क्षेत्र में आवासीय योजना हेतु कोलोनाईजेशन योजना बना कर नगर विकास न्यास भीलवाडा में आवेदन प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आवेदन पर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने उक्त आराजियात का आवासीय प्लॉन अनुमोदन हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर को प्रेषित किया गया जिसे वरिष्ठ नगर नियोजक ने आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु लेआउट प्लॉन पत्र क्रमांक यूडीआर/1623 बीडब्ल्यूए/1198 दिनांक 29.08.1999 को स्वीकृत कर सचिव नगर विकास न्यास भीलवाडा को प्रेषित किया गया। उक्त लेआउट प्लॉन स्वीकृत होने पर नगर विकास न्यास भीलवाडा एवं प्रस्तावित लाल बहादुर ग्रह निर्माण सहकारी समिति लि० भीलवाडा के मध्य उक्त कॉलोनी को विकसित करने हेतु इकरार नामा दिनांक 28–09–1989 को निष्पादित किया गया । सचिव नगर विकास न्यास भीलवाडा ने लेआउट प्लॉन में आंशिक संशोधन कर संशोधित लेआउट प्लॉन उपखण्ड अधिकारी भू०रू० भीलवाडा के यहां प्रस्तुत किया गया । लाल बहादुर ग्रह निर्माण सहकारी समिति लि० भीलवाडा समिति के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत सचिव दलपत सिंह आत्मज चान्दमल पोखरना तथा खातेदारान विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत, अभिमन्यू सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, रामेन्द्र सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, निर्भय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, विजय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत निवासीयान पांसल भीलवाडा ने ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 4000, 4012, 4013/1 कुल किता 10 कुल रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा भूमि को स्वीकृत प्लॉन अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही करने एवं भूखण्डों को विक्रय करने एवं नगर विकास न्यास भीलवाडा में समस्त कार्यवाही करने हेतु मुख्तीयार नामा खास लादू लाल हिरण आत्मज स्व० चान्दमल हिरण निवासी भीलवाडा को अपना मुख्तीयार खास नियुक्त किया गया जो मुख्तीयार नामा उप पंजीयक कार्यालय बनेडा में क्रम संख्या 01/1991 दिनांक 28–03–1991 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त आराजीयात की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की 42/ए सपठित राजस्थान काश्तकारी नियम 1995 के नियम 24 डीडीडी के अन्तर्गत विक्रेता/क्रेता ने उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से प्रपत्र सी–ए में आवेदन कर विखण्डन करने की छूट हेतु आवेदन किया । जिस पर उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा ने नियमानुसार राशि जमा करवा कर उक्त आराजीयात की विखण्डन की स्वीकृति जारी की गयी । ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 3999 में निम्नलिखित भूखण्डों की विखण्डन की स्वीकृत उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा ने निम्नानुसार जारी की गयी जिसका विवरण निम्न है:–

नाम क्रेता	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
श्रीनिवास मोदानी	49	260.67 वर्गगज
राधाकिशन जागेटिया	52,45	745.21 वर्गगज
नानूराम बांगड	46,47,48	781.98 वर्गगज
हरदयाल लखोटिया	53,54	969.10 वर्गगज

लाल बहादुर ग्रह निर्माण सहकारी समिति लि० भीलवाडा समिति के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत सचिव दलपत सिंह आत्मज चान्दमल पोखरना तथा खातेदारान विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत, अभिमन्यू सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, रामेन्द्र सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, निर्भय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, विजय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत निवासीयान पांसल भीलवाडा के मुख्तीयार खास लादू लाल हिरण आत्मज स्व० चान्दमल हिरण निवासी भीलवाडा ने राजस्व ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 3999 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि में स्थित संख्या भूखण्ड सं0 49 नपती 34 फिट बाई 69 फिट का विक्रय पत्र क्रेता श्री श्रीनिवास मोदानी आत्मज श्री सत्यनारायण मोदानी निवासी भीलवाडा के हक में दिनांक 20–02–1992 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में क्रम संख्या 242 दिनांक 20–02–1992 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्ड का आवासीय पट्टाविलेख उपखण्ड अधिकारी भू०रू० भीलवाडा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण राशि जमा करवा कर श्री श्रीनिवास मोदानी आत्मज श्री सत्यनारायण मोदानी निवासी भीलवाडा के हक में पट्टा क्रमांक 136 सन् 1992 को जारी किया गया जो पटटा विलेख उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में क्रम संख्या 1088 दिनांक 20–07–1992 को पंजीबद्ध हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त भूखण्ड श्री श्रीनिवास मोदानी आत्मज श्री सत्यनारायण मोदानी निवासी भीलवाडा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सं अपीलान्ट सं. 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18–07–2011 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में क्रम संख्या 2011013200 दिनांक 18–07–2011 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्ड नामान्तरण नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा अपीलान्ट सं० 1 व 2 के हक में जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 1234 दिनांक 15–10–2013 को जारी किया गया । लाल बहादुर ग्रह निर्माण सहकारी समिति लि० भीलवाडा समिति के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत सचिव दलपत सिंह आत्मज चान्दमल पोखरना तथा खातेदारान विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत, अभिमन्यू सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, रामेन्द्र सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, निर्भय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, विजय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत निवासीयान पांसल भीलवाडा के मुख्तीयार खास लादू लाल हिरण आत्मज स्व० चान्दमल हिरण निवासी भीलवाडा ने राजस्व ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 3999 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि में स्थित भूखण्ड सं० 52 क्षेत्रफल 4361 वर्गफिट एवं भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 2346 वर्गफिट दोनों भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 6707 वर्गफिट का विक्रय पत्र क्रेता राधाकिशन आत्मज श्री नन्दलाल जागेटिया निवासी भीलवाडा के हक में दिनांक 20–02–1992 को निष्पादित होकर उपपंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में कम संख्या 244 दिनांक 20.02.1992 को पंजीबद्ध हुआ उक्त भूखण्ड का आवासीय पटटाविलेख उपखण्ड अधिकारी भू०रू० भीलवाडा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण राशि जमा करवा कर श्री राधाकिशन आत्मज श्री नन्दलाल जागेटिया निवासी भीलवाडा के हक में पत्रावली सं० 10/92 आदेश दिनांक 04–07–1992 से जिला कलेक्टर भीलवाडा द्वारा पट्टा क्रमांक 144 सन 1992 को जारी किया गया जो पटटा विलेख उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में क्रम संख्या 1088 दिनांक 20–07–1992 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्ड संख्या 45 नपती 34 फीट बाई 69 फिट का श्री राधाकिशन आत्मज श्री नन्दलाल जागेटिया निवासी भीलवाडा की मृत्यु होने से उनके विधिक वारीसान को विरासत में मिला जिनके अन्य विधिक वारीसान ने रिलीज डीड संजय कुमार आत्मज राधाकिशन जागेटिया के हक में त्याग पत्र पंजीयन होने के बाद अपीलान्ट सं० 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27–02–2012 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में कम संख्या 2012002233 दिनांक 27.02.2012 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्ड सं0 45 का नामान्तकरण नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा अपीलान्ट सं० 1 व 02 के हक में जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 21960 दिनांक 21–12–2013 को जारी किया गया तथा भूखण्ड सं० 52 नपती 49 फिट बाई 89 फिट का संजय कुमार आत्मज राधाकिशन जागेटिया के हक में त्याग पत्र पंजीयन होने के बाद अपीलान्ट सं. 3 व 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27–02–2012 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में दिनांक 27–02–2012 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्ड सं0 52 का नामान्तरण नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा अपीलान्ट सं० 3 व 4 के हक में जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 21959 दिनांक 31–12–2013 को जारी किया गया। लाल बहादुर ग्रह निर्माण सहकारी समिति लि० भीलवाडा समिति के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत सचिव दलपत सिंह आत्मज चान्दमल पोखरना तथा खातेदारान विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत, अभिमन्यू सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, रामेन्द्र सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, निर्भय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत विजय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत निवासीयान पांसल भीलवाडा के मुख्तीयार खास लादू लाल हिरण आत्मज स्व० चान्दमल हिरण निवासी भीलवाडा ने राजस्व ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 3999 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि में स्थित भूखण्ड सं० 46,47,48 नपती 102 फिट बाई 69 फिट कुल क्षेत्रफल 7038 वर्गफिट का विक्रय पत्र क्रेता नानूराम पिता नाथूराम जी बांगड के हक में दिनांक 20–02–1992 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में क्रम संख्या 247 दिनांक 20–02–1992 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्ड का आवासीय पट्टाविलेख उपखण्ड अधिकारी भू०रू० भीलवाडा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण राशि जमा करवा कर नानूराम पिता नाथूराम जी बांगड के हक में पत्रावली सं० 11/92 आदेश दिनांक 04–07–1992 से जिला कलेक्टर भीलवाडा द्वारा पट्टा क्रमांक 145 सन् 1992 को जारी किया गया जो पटटा विलेख उपपंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में क्रम संख्या 1085 दिनांक 20.07.1992 को पंजीबद्ध हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त भूखण्ड संख्या 46,47,48 कुल नपती 102 फीट बाई 69 फिट का नानूराम पिता नाथूराम जी बांगड की मृत्यु होने से उनके विधिक वारीसान रमेश बांगड अशोक कुमार बांगड आत्मज श्री नानूराम बांगड एवं मन्जू काष्ट पुत्रीद घनश्याम काष्ट को विरासत में मिला । उक्त भूखण्ड सं0 46,47,48 को रमेश बांगड अशोक कुमार बांगड आत्मज श्री नानूराम बांगड एवं मन्जू काष्ट पुत्रीद घनश्याम काष्ट ने अपीलान्ट सं० 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27–02–2012 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में क्रम संख्या 2011013219 दिनांक 18–07–2011 को पंजीबद्ध हआ है। उक्त भूखण्ड संख्यां 46,47,48 का नामान्तरण नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा अपीलान्ट संख्या 01 व 02 के हक में जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 1233 दिनांक 15–05–2013 को जारी किया गया। लाल बहादुर ग्रह निर्माण सहकारी समिति लि० भीलवाडा समिति के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह सचिव दलपत सिंह आत्मज चांदमल पोखरना तथा खातेदारान विक्रमादित्य सिंह आत्मज मनमथ सिंह राजपूत, अभिमन्यू सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत, रामेन्द्र सिंह पिता मनमथ सिंह निर्भय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत विजय सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत सिंह राजपूत, निर्भय सिंह निवासीयान पांसल भीलवाडा के मुख्तीयार खास लादू लाल हिरण आत्मज स्व० चान्दमल हिरण निवासी भीलवाडा ने राजस्व ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 3999 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि में स्थित संख्या भूखण्ड सं० 53,54 कुल नपती 98 फिट बाई 89 फिट कुल क्षेत्रफल 8722 वर्गफिट का विक्रय पत्र क्रेता हरदयाल पिता रामलाल लाखोटिया निवासी कलकीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा के हक में दिनांक 20–02–1992 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में क्रम संख्या 243 दिनांक 20–2–1992 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्ड का आवासीय संपरिवर्तन उपखण्ड अधिकारी भू०रू० भीलवाडा ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण राशि जमा करवा कर हरदयाल पिता रामलाल लाखोटिया निवासी कलकीपुरा तहसील व जिला भीलवाडा के हक में पत्रावली सं० 13/92 आदेश दिनांक 04–07–1992 से पट्टा क्रमांक 146 सन् 1992 को जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया जो पटटा विलेख उप पंजीयक कार्यालय भीलवाडा में क्रम संख्या 1086 दिनांक 20–07–1992 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्ड हरदयाल पिता रामलाल लाखोटिया की मृत्यु होने से उनके विधिक वारीसान को विरासत में मिला तथा अन्य विधिक वारीसान ने उक्त भूखण्डों में हक त्याग किये जाने पर उक्त दोनो भूखण्ड महेश लखोटिया आत्मज श्री हरदयाल लखोटिया श्रीमती सुशीला देवी सोमानी पुत्री हरदयाल लखोटिया ने अपीलान्ट सं०. 3 व 4 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05–03–2013 को पंजीबद्ध हुआ है। उक्त भूखण्डों का नामान्तरण नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा अपीलान्ट सं० 3 व 4 के हक में जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 1235 दिनांक 15–05–2013 को जारी किया गया । अपीलान्ट सं० 1 एवं 2 ने उक्त आवासीय भूखण्ड संख्या 45,46.47.48.49 पर आवासीय मकान का निर्माण कार्य किया जाकर निवास कर रहे है। तथा अपीलान्ट संख्या 03 व 04 को भूखण्ड संख्या 52,53,54 पर आवासीय मकान का निर्माण कार्य किया जाकर निवास कर रहे है। उक्त आवासीय भूखण्ड ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 3999 में स्थित है जो विधिवत स्वीकृत प्राप्त कर आवासीय रूपान्तरित हुए है तथा विधिवत बेचान हुआ है जिसे खातेदार रामेन्द्र सिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत की मृत्यु होने के बाद उनके वारीसान ने विरासत से उक्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज कराने के आवेदन कर अपने नाम पर दर्ज कराई गयी है जो नियमों के विपरीत है। अतः उक्त आवासिय परियोजनार्थ भूमि का नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया हो नियमो के विपरित होकर निरस्त योग्य है। उक्त आवासीय भूखण्डों पर अपीलान्ट अपनी कमाई से उक्त भूखण्डो को खरीद कर आवासीय मकान बनाया गया है। जिसे पटवार हल्का पांसल, गिरदावर ने बिना जांच किए ही उक्त आराजीयात का नामान्तरण भरकर ग्राम पंचायत में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत पांसल एवं कौरम ने बिना ज्ञान लगाए नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो अपीलान्ट के टाईटल मुकाबले निरस्त योग्य है। राजस्व ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4012, 4011/1, 4013/1 का कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लॉन वरिष्ठ नगर नियोजक उदयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया तथा नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा उक्त कॉलोनी में विकास कार्य कराये गये तथा उपखण्ड अधिकारी भू०रू० भीलवाडा ने उक्त आराजीयात में स्थित भूखण्डों को कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी कर पट्टाविलेख जारी कर दिये है ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त आराजीयात कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो गयी है अतः उक्त आराजीयात को संपरिवर्तन पत्रावली प्रस्तुत होने पर ही राजकीय हक में समर्पण स्वतः मान ली जाती है तथा उक्त आराजीयात के पट्टे जारी हो चुकी है अतः उक्त आराजीयात को कृषि भूमि से हटा कर बिलानाम आबादी दर्ज किये जाने का प्रावधान है लेकिन तहसीलदार भीलवाडा ने ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3994/1, 3999, 3995, 3996 खातेदार रामेन्द्रसिंह पिता मनमथ सिंह राजपूत के नाम पर ही खातेदारी अधिकारों पर चली आ रही थी जबकि उक्त आराजीयात में स्थित भूखण्डों को खातेदार के मुख्तीयारखास द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से अपखण्डन की स्वीकृत प्राप्त कर विक्रय पत्र निष्पादित किये गये तथा विक्रय पत्रों के आधार पर भूखण्डों के आवासीय पट्टे विक्रयपत्रों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी भू०रू० भीलवाडा एवं जिला कलेक्टर भीलवाडा द्वारा जारी कर दिये गये । अतः उक्त आराजीयात में खातेदार रामेन्द्र सिंह पिता मनमथ सिंह एवं उनके विधिक वारीसान का कोई हक अधिकार नहीं रहा लेकिन रामेन्द्र सिंह पिता मनमथ सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके विधिक वारीसान खाता संख्या 1557 में आराजी नम्बर 3994/1 एवं 3999 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6829 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1556 में आराजी नम्बर 3995 एवं 3996 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि को पटवार हल्का पांसल एवं गिरदावरी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत पांसल ने विरासत से नामान्तरण सं० 7609 दिनांक 06-10-2023 को स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त आराजीयात कृषि भूमि नहीं रही है फिर ग्राम पंचायत पांसल ने अपने अधिकार क्षेत्र बाहर जाकर विरासत का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है जो निरस्त योग्य है । उक्त आराजीयात पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवासीय कॉलोनी स्वीकृत है तथा मौके पर आवासीय मकान बने होकर अधिकृत व्यक्ति निवास कर रहे हैं लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना कोई जांच किये शपथ पत्र के आधार एवं वारीसान जांच रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जो भू राजस्व अधिनियम के तहत बने शहरी नियम 1981 के तहत विपरीत है । उक्त आराजीयात के नामान्तरण सं० 7609 दिनांक 06-10-2023 की जानकारी अपीलान्ट को 20-5-2024 को होने से नामान्तरण की डिजीटल नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गयी है। यह अपील श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से श्रीमान के यहां जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि में प्रस्तुत है। तथा प्रत्यर्थी को सूचना हेतु सम्मन प्रोसेस पेश है।

अतः सादर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार करवाई जाकर सरपंच ग्राम पंचायत पांसल तहसील व जिला भीलवाडा का स्वीकृत नामान्तरण सं० 7609 आदेश दिनांक 06-10-2024 को निरस्त करवाकर ग्राम पांसल की खाता संख्या 1557 में आराजी नम्बर 3994/1 एवं 3999 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6829 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1556 में आराजी नम्बर 3995 एवं 3996 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि को रेस्पोडेंट्स सं० 1 से 3 का नाम हटा कर बिलानाम आबादी दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधि० अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं० 7609/2023 आदेश दिनांक 06-10-2023 ग्राम पंचायत पांसल तहसील व जिला भीलवाडा राज० में प्रार्थी अपीलान्टस की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि राजस्व ग्राम पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 3995, 3996, 3994/1, 3999 आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन सुदा भूमि का सरपंच ग्राम पंचायत पांसल तहसील व जिला भीलवाडा का नामान्तरण सं० 7609 निर्णय दिनांक 06-10-2023 युक्तियुक्त नहीं होने से निरस्त योग्य है जिसकी अपील अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत कर दी है। उक्त कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात सहायक कलेक्टर भू०रू० भीलवाडा एवं जिला कलेक्टर भीलवाडा द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सुदा होने से कृषि भूमि नहीं रही है फिर भी अप्रार्थी सं० 4 व 5 ने बिना जांच किये ही अप्रार्थी सं० 01 से 03 के हक में विरासत से दर्ज कर दिया है जो नियमों की विपरीत है। उकत नामान्तरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 20.05.2024 को हुई । उक्त आराजीयात में भूखण्ड अपीलान्ट के खरीद किये है इस कारण अपीलान्ट प्रभावी व्यक्ति होने से अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरण की अपील प्रस्तुत की गयी है अतः सरपंच ग्राम पंचायत पांसल द्वारा नामान्तरण सं. 7609/2023 दिनांक 06-10-2023 को स्वीकृत किया गया है अतः नामान्तरण आदेश दिनांक 06-10-2023 से नामान्तरण की जानकारी दिनांक 20-05-2024 तक वजह जाहिर होने से अपील अन्दर अवधि में शुमार करवाया जाना आवश्यक है क्योंकि नामान्तरण अंचल सम्पदा से संबंधित है । ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्टस ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया है जिसमें निवेदन किया है कि नामान्तकरण आदेश दिनांक 06.10.2023 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 20.05.2024 को हुई। अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर अवधी शुमार कराए जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का न्याय की दृष्टि से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलान्टस की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस के सम्मन जारी किए गए। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित है। रेस्पोडेन्टस संख्या 04, 05 उपस्थित नहीं है। रेस्पोडेन्टस संख्या 06 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। रेस्पोडेन्टगण ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रकरण में अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपील मेमो में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए ग्राम पांसल के नामान्तकरण संख्या 7609 में आराजी नम्बर 3994/1, 3999 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6829 है0 एवं आराजी नम्बर 3995, 3996 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1138 है0 भूमि के संबंध में पारित ग्राम पंचायत पांसल के आदेश दिनांक 06.10.2024 को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से लगायत 03 का नाम हटाकर बिलानाम आबादी दर्ज कराई जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपीलान्ट के अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ती प्रकट नहीं की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 06 पेरोकार सरकार ने विरासत नामान्तकरण के आदेश दिनांक 06.10.2024 को निरस्त करने में कोई आपत्ती प्रकट नहीं की है।

अपीलान्ट की अपील एवं अपील मेमो के साथ संलग्न दस्तावेजात को भली–भांति परीक्षण किया गया। ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 3995, 3996, 1829, 3994/1, 3999, 3203, 4011/2 रामेन्द्र सिंह पुत्र मनमथ सिंह राजपुत के नाम संयुक्त दर्ज रेकार्ड है। रामेन्द्र सिंह मृतक की विरासत में निधि शेंखावत पुत्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र, सुशील कंवर पत्नी के नाम दर्ज करते हुए अन्य खातेदार बेदस्तुर काश्तकार अंकित करते हुए नामान्तकरण संख्या 7609 पटवारी हल्का पांसल ने दर्ज किया, जिसकी जांच गिरदावर हल्का पांसल द्वारा की गई एवं सरपंच ग्राम पंचायत पांसल द्वारा दिनांक 06.10.2023 को विरासत स्वीकृत की गई। ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 3093 से लगायत 3999, 4000, 4012, 4013/1 कुल किता 10 कुल रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा भूमि के संबंध में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा एवं प्रस्तावीत लाल बहादूर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 भीलवाड़ा के मध्य कृषि भूमि के आवासीय भू खण्ड हेतु लेआउट प्लॉन का इकरारनामा दिनांक 28.09.1989 को निष्पादन होकर लेआउट प्लॉन स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात मुख्तीयारनामा खास श्री विक्रमादित्यसिंह, दलपत सिंह, अभिमन्यूसिंह, रामेन्द्र सिंह, निर्भयसिंह, विजयसिंह द्वारा श्री लादूलाल आत्मज चांदमल हीरण निवासी भीलवाड़ा के पक्ष में दिनांक 28.03.1991 को उप पंजीयक बनेड़ा से पंजीयन करवाया है। इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा ने पत्रावली संख्या 136/1992, 144/1992, 145/1992, 146/1992 में ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 3999 में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया। ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 3995, 3996, 3999, 4011/1 में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा आवासीय प्लॉन अनुमोदन किया गया। इसमें पट्टा विलेख कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा भी जारी किए गए जिससे अपीलाधीन आदेश में अंकित आराजी आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हुई है, इसके पश्चात पट्टेदार द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की गई है। उपरोक्त विवेचन अनुसार आवासीय समपरिवर्तनशुदा भूमि के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत पांसल द्वारा नामान्तकरण संख्या 7609 में मृतक रामेन्द्रसिंह पुत्र मनमथ सिंह राजपूत सा0 देह की विरासत के संबंध में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 त्रुटिपुर्ण है। अपीलान्ट की अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव

–:: आदेश ::–

अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर ग्राम पांसल के नामान्तकरण संख्या 7609 में ग्राम पांसल के आराजी नम्बर 3995, 3996, 3994/1 3999, 1829, 3203, 4011/2 के संबंध में पारित सरपंच ग्राम पंचायत पांसल का आदेश दिनांक 06.10.2023 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा